S/o Ishwar

बउनवान ओमप्रकाश बनाम सत्यनारायण वगै.

धारा .... मुकदमा नं. 2024/168 ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की तामील
13/8/2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र नियम 11 आदेश 7 CPC पर उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी-प्रतिवादी ने तर्क प्रस्तुत किया कि दावा विधि बाधित होने के कारण खारिज करने योग्य है क्योंकि धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा संबंधी दावा लाने का अधिकार सिर्फ रिकॉर्ड खातेदार या गैर खातेदार को ही प्राप्त है। उक्त वाद में Locus standi का अभाव होने के कारण खारिज योग्य है। न्यायिक दृष्टांत RRD 1994 ओंकार सिंह माला बनाम मुकेश कुमार (राजस्व बोर्ड द्वारा निर्णीत), ~~case no~~ 43149, RRD 1995 अमरी बाई बनाम दलजीत और, लक्ष्मी vs मिट्ठू तथा शिवो सहाय बनाम L. Rs. of Smt Mathuri - (149) अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत किये। प्रार्थी (प्रतिवादी) की ओर से बहस के दौरान यह अप्रार्थी (वादी) द्वारा तथ्य स्वीकार किया कि वादी तथा प्रतिवादी दोनों में से कोई पक्ष खातेदार या गैर खातेदार नहीं है तथा भूमि मंदिर पुजारी ने चतुर्भुज के लिए इकरारनामा किया है। चतुर्भुज के फौत होने के कारण उसके वारिस उक्त भूमि पर काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। उभयपक्ष अधिवक्ता बहस सुनने तथा मनन करने के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ~~भूमि~~ विवादित कृषि भूमि मंदिर मूर्ति ठाकुरजी महाराज विराजमान इन्दरगढ़ के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा प्रतिवादी एवं वादी की	

उनवान ...ओमप्रकाश आदि... बनाम ...[illegible] आदि...

धारा ...188 R.T. Act... मुकदमा नं. ...93/2025... ऑनलाईन नं. ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
	स्वीकारोक्ति कि वे न तो खातेदारी न ही गैर-खातेदारी अधिकार रखते हैं उक्त वाद विधि द्वारा बाधित है। पूर्व न्यायिक दृष्टांतों तथा विधि से यह सुस्थापित तथ्य है कि राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955 की धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का दावा भूमि मे वैध हक (Lawful entitlement) रखने वाला व्यक्ति (जैसे खातेदार काश्तकार, भूधारक) ही दायर कर सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मामला रामनारायण बनाम राजस्थान राज्य, 1980 उल्लेखनीय है -	
	" That only the Person with lawful entitlements to the land (eg Khatedar tenant or land holder) can file a Suit under section 188 of R.T. Act, 1955."	
	अतः प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी इटावा	